

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2025—श्रावण 17, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जून 2025

क्रमांक ESTB/671/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 33/07/2025-EO(SM-I), दिनांक 28-05-2025 के तारतम्य में सुश्री अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004), सचिव, श्रम विभाग एवं अति. प्रभार श्रमायुक्त, सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश पर्यन्त भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 मई 2025

क्रमांक एफ 11-07/2024/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित रिट पिटीशन (सी) 1234/2017 में पारित आदेश दिनांक 18-10-2024 के अनुक्रम में राज्य में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध इकाई का निम्नानुसार गठन करता है :—

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग | अध्यक्ष |
| 2. | आयुक्त/संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग | सदस्य सचिव |
| 3. | सभी 33 जिलों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (चक्रानुक्रम में) | सदस्य |
| 4. | बाल विवाह के खिलाफ या बाल अधिकारों पर काम करने का अनुभव रखने वाले निम्न संस्थाओं/व्यक्तियों :— | सदस्य |
| | 1. यूनिसेफ रायपुर के महिला प्रतिनिधि | |
| | 2. एसोसिएशन फॉर वालेंटियर एक्शन रायपुर के प्रतिनिधि | |
| | 3. छ.ग. एग्रीकॉन समिति रायपुर के प्रतिनिधि | |
| | 4. सेंटर फॉर केटलाइजींग चेंज रायपुर के प्रतिनिधि | |
| | 5. सृजन सामाजिक संस्था, राजनांदगांव के प्रतिनिधि | |
| | 6. पद्मश्री श्रीमती फूलबासन यादव राजनांदगांव | |
| | 7. श्री लालसाय सिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत दुर्गापुर, जिला-सुरजपुर | |
-
1. इकाई के सभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को (CMPO) को बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा.
 2. इकाई बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं के निवारण के लिए पेशेवरों की मदद से पट्यक्रम और संसाधन तैयार करेगी.
 3. इकाई बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को अपने कार्यों के निर्वहन में आने वाली किसी भी कठिनाई या शिकायत के निराकरण के लिए मंच भी प्रदान करेगी.
 4. इकाई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी, प्रशिक्षित पेशेवरों को ज्ञान वितरित करने और शिकायतों को एकत्रित करने और निवारण करने के लिए आमंत्रित करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 जून 2025

क्रमांक 1370/एफ 21/11/2024/13/2.— यतः राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु निवेश प्रोत्साहन के लिए जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट दी जाये,

2/ अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र० 10 सन् 1949) की धारा 3—ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका-12 के प्रावधान के पालन में, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु पात्र उद्योगों को, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित कालावधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है—

सारणी

(1) एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अध्याय-अ के परिशिष्ट-7 में सम्मिलित विवरण के आधार पर, इस नीति के अंतर्गत राज्य में स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नवीन सेवा उद्यमों की स्थापना पर निम्नलिखित विवरण अनुसार विद्युत शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी :—

क्षेत्र	अनुदान की अधिकतम अवधि
समूह-1	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
समूह-2	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
समूह-3	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

(2) सेवा श्रेणी के वृहद उद्यम हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अध्याय-अ परिशिष्ट-8 में सम्मिलित विवरण के आधार पर, पात्र नवीन वृहद सेवा उद्यमों को निम्नलिखित विवरण अनुसार विद्युत शुल्क में छूट दी जावेगी:—

क्र.	यंत्र संयंत्र में पूंजी निवेश (रूपये करोड़ में)	विवरण
1	रु. 50 से अधिक किन्तु रु. 200 से कम	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष ।
2	रु. 200 से अधिक किन्तु रु. 500 से कम	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष ।

(3) सामान्य श्रेणी सेक्टर के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के सामान्य एवं थ्रस्ट उद्यमों हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज:-

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-9.3 में सम्मिलित विवरण के आधार पर, सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित मात्र नवीन उद्यम हेतु सामान्य/थ्रस्ट उत्पाद के उद्यमों को पात्रतानुसार विद्युत शुल्क भुगतान से छूट निम्नानुसार प्रदान की जावेगी:-

क्षेत्र	सामान्य उद्यम	थ्रस्ट उद्यम
समूह-1	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
समूह-2	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
समूह-3	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

(4) (1) सामान्य श्रेणी एवं थ्रस्ट सेक्टर के वृहद उद्यमों हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन-

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अध्याय-(ब) के भाग (ब-1) (2) में सम्मिलित विवरण के आधार पर, राज्य में सामान्य श्रेणी एवं थ्रस्ट सेक्टर के केवल नवीन वृहद उद्यमों को निम्नलिखित विवरण अनुसार विद्युत शुल्क में छूट दी जावेगी :-

क्र.	विकासखण्डों की श्रेणी	सामान्य	थ्रस्ट
1	समूह-1	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष ।	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष ।
2	समूह-2	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष ।	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष ।
3	समूह-3	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष ।	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष ।

(4)(2) कोर (स्टील) सेक्टर के वृहद उद्यम हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन -

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अध्याय-(ब) के भाग (ब-2) (2) में सम्मिलित विवरण के आधार पर, राज्य में कोर सेक्टर के केवल नवीन उद्यमों को निम्नलिखित विवरण अनुसार विद्युत शुल्क छूट दी जावेगी :-

क्र.	विकासखण्डों की श्रेणी	विवरण
1	समूह-1 (विकासखण्ड बिल्हा एवं धरसीवा को छोड़कर)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष ।
2	समूह-2	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष ।
3	समूह-3	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष ।

(4)(3) कोर सेक्टर के अन्य वृहद उद्यम (स्टील छोड़कर) एवं लघु, मध्यम एवं वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन –

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अध्याय-(ब) के भाग (ब-3) (4) में सम्मिलित विवरण के आधार पर, राज्य में कोर सेक्टर के केवल नवीन उद्यमों को निम्नलिखित विवरण अनुसार विद्युत शुल्क छूट दी जावेगी –

क्र.	विकासखण्डों की श्रेणी	विवरण
1	समूह-1	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष।
2	समूह-2	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष।
3	समूह-3	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष।

(5) विशिष्ट उत्पाद श्रेणी के वृहद उद्यमों हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन –

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के 'अध्याय-स' अंतर्गत प्रावधानित विशिष्ट उत्पाद श्रेणी के नवीन वृहद उद्यमों को निम्नानुसार विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जावेगी—

क्र.	विशिष्ट उत्पाद श्रेणी	विवरण
1.	फार्मास्युटिकल उद्यम	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष ।
2.	टेक्सटाईल सेक्टर उद्यम	
3.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण तथा गैर काष्ठ वनोपज प्रसंस्करण एवं कम्प्रेस्ड बॉयो गैस सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र	
4.	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर	
5.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू)	
6.	सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)	
7.	आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज (आई.टी.ई.एस.) / डेटा सेंटर से संबंधित उद्यमों	

यदि उद्यमों हेतु औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की शर्तों के अधीन, उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त किसी भी वृहद निवेश हेतु मंत्री मंडलीय उप समिति द्वारा विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अनुमोदित किया जाता है, तो अनुमोदित पैकेज अनुसार विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता होगी।

(6) सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों एवं विशेष प्रकार के उद्योगों के लिए विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज:-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु :-

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अध्याय-(द) के भाग (द-1) (3) में सम्मिलित विवरण के आधार पर, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु के उद्यमियों द्वारा पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, नवीन उद्यमों की स्थापना पर विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जावेगी :-

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	थ्रस्ट उद्योग
समूह-1	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक पूर्ण छूट
समूह-2	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक पूर्ण छूट
समूह-3	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक पूर्ण छूट

2. "छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स उद्यम पैकेज" -

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अध्याय-(द) के भाग (द-2) (3) में सम्मिलित विवरण के आधार पर, नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम लॉजिस्टिक्स उद्यम/विद्यमान उद्यम में विस्तार/शवलीकरण, के प्रकरणों में निम्नलिखित विवरण अनुसार विद्युत शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की जा सकेगी:-

विकासखंड की श्रेणी	छूट की अवधि
समूह-1	वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
समूह-2	वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
समूह-3	वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

विद्यमान उद्यम में विस्तार/शवलीकरण के प्रकरणों हेतु छूट की प्रक्रिया तथा मात्रा का निर्धारण पृथक से किया जावेगा।

(7) छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पैकेज -

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अध्याय (द-3) के शर्तों को पूरा करने वाले, राज्य में स्थापित होने वाले स्टार्ट-अप इकाईयों को नीति में प्रावधानित नियमानुसार विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जावेगी तथा राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, तृतीय लिंग, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्तजनों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप को विद्युत शुल्क के भुगतान से एक वर्ष अधिक छूट की पात्रता होगी।

(8) बंद एवं बीमार उद्यमों हेतु –

औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनों की पात्रता को आधार मानकर इस नीति की अवधि में घोषित बंद/बीमार उद्योग (प्रमाण पत्र धारित करता हो) के स्वामी या क्रेता इकाई को (यथा स्थिति जो लागू हो) श्रेणीवार व विकासखण्डवार पूर्णतः/शेष बची विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जावेगी, जिसका उपयोग बंद उद्योग ने अपने उद्योग के संचालित रहने की अवधि में नहीं किया हो/आंशिक किया हो।

(9) राज्य के महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, निःशक्तजनों, अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्यमों तथा विदेशी तकनीक के साथ स्थापित परियोजनाओं हेतु **सामान्य सेक्टर के उद्यमों** को उपलब्ध कराये जा रहे विद्युत शुल्क से छूट की अवधि से **एक वर्ष अधिक** छूट दी जावेगी।

परंतु यदि कोई निवेशक एक से अधिक श्रेणी अथवा अन्य किसी प्रावधान में अतिरिक्त लाभ हेतु पात्र होता है तो उसे इस नीति में प्रावधानित किसी एक ही श्रेणी के अतिरिक्त लाभ की पात्रता होगी।

(10) राज्य में स्थापित होने वाले सभी निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले पात्र नवीन उद्यमों को विकासखंड की श्रेणी के आधार पर औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के अंतर्गत मान्य अवधि से **एक वर्ष अधिक** विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता होगी।

(11) राज्य में केवल **समूह-3 के विकासखंडों** में स्थापित होने वाले नवीन राईस मिल/पारबाइलिंग इकाईयों को सामान्य उद्यम श्रेणी हेतु घोषित विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता होगी।

(12) जिन उद्यमों द्वारा औद्योगिक विकास नीति 2024–30 की कालावधि में प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जा रहा है, किन्तु नियमानुसार औद्योगिक नीति 2019–24 का विकल्प चयन किया गया है उन्हें छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के अधिसूचना क्रमांक 1956/एफ 21/12/2019/13/2/ऊवि, दिनांक 07.09.2021 के अंतर्गत वर्णित प्रावधान अनुसार विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता होगी।

(13) औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के अंतर्गत घोषित किये गये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन इस नीति में जिन संस्थाओं को स्पष्ट रूप से पात्र घोषित किया गया हो, उनके अतिरिक्त भारत शासन, राज्य शासन तथा इनके सार्वजनिक उपक्रमों (यदि विशेष रूप से अन्यथा प्रावधानित न हो) को उपलब्ध नहीं होंगे।

(14) ऊर्जा विभाग की छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 के कंडिका 3(3), 3(4) एवं 3(5) अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं को, ऊर्जा विभाग की उक्त नीति में उल्लेखित रियायतों के अतिरिक्त औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत सामान्य सेक्टर उद्योगों के लिये घोषित अवधि हेतु विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता होगी।

(15) 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रभावशील उर्जा विभाग की नीति के अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले मिनी हाईड्रल ऊर्जा संयंत्रों को उर्जा विभाग की उक्त नीति की कंडिका 7 के स्थान पर इस औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत सामान्य सेक्टर उद्योगों के लिये घोषित विद्युत शुल्क से छूट के समान पात्रता होगी।

(16) उर्जा विभाग की छत्तीसगढ़ राज्य सौर उर्जा नीति 2017-27 के अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले सौर उर्जा परियोजनाओं को, उर्जा विभाग की उक्त नीति की कंडिका 8-अ में उल्लेखित रियायतों के स्थान पर औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत कोर सेक्टर (स्टील को छोड़कर) उद्योगों के लिये घोषित विद्युत शुल्क से छूट के समान पात्रता होगी।

3/ उपरोक्त छूट, निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

(1) औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पॉवर प्लांट के मामले में, वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख के निर्धारण हेतु संस्थान को स्व-घोषित प्रमाण पत्र को ग्रिड कनेक्टिविटी के अनुसार राज्य के भार प्रेषण केन्द्र एवं पीजीसीआईएल के क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र से अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

(2) औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पावर प्लांट के मामले में छूट की पात्रता, ऑक्जलरी खपत तथा विद्युत नियम, 2005 में परिभाषित केप्टिव यूज में खपत की गई बिजली की यूनिटों के आधार पर देय होगी। तदनुसार संस्थान को केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली पर विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट हेतु कंपनी को प्रत्येक माह के लिये पृथक-पृथक खपत का विवरण मीटर रीडिंग सहित मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा।

(3) औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पॉवर प्लांट के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक इकाईयों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख का निर्धारण वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर मान्य होगा।

(4) औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत घोषित विद्युत शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए औद्योगिक इकाईयों को राज्य के मूल निवासियों हेतु निर्धारित प्रतिशत अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(5) विद्युत शुल्क भुगतान से छूट का आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के अथवा अधिसूचना जारी होने के दिनांक, जो पश्चात्पूर्ति हो, से 18 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

आवेदन प्रस्तुत करने में हुए 90 दिवस तक के विलंब को उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग तथा 90 दिवस से अधिक विलंब को भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा गुण-दोष के आधार पर शिथिल किया जा सकेगा। जिस पर निर्णय के पूर्व औद्योगिक इकाई को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जावेगा। अधिकतम 01 वर्ष तक के विलंब को ही शिथिल किया जा सकेगा।

4/ आवेदनों का निपटारा तथा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने की प्रक्रिया :-

(1) औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्योग विभाग की वेबसाइट www.industries.cg.gov.in में सिंगल विण्डो लॉग-ईन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। Ease of doing business के तहत इकाई को आवेदन के निराकरण हेतु किसी भी कार्यालय में समक्ष उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) उद्योग आयुक्त/संचालक अथवा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्युत शुल्क से छूट हेतु प्राप्त आवेदन, आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर मुख्य विद्युत निरीक्षक को अनुशंसा सहित प्रेषित किये जायेंगे, जिसमें निवेशक का वर्गीकरण, इकाईयों की श्रेणी, औद्योगिक इकाई का वर्ग एवं स्थिति, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख, विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता अवधि के विवरण अंतर्विष्ट होंगे। अपूर्ण अनुशंसित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) विद्युत शुल्क से छूट हेतु अनुशंसा की ऑनलाईन प्रक्रिया में परिवर्तन/सुधार करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक सक्षम होंगे।

(4) मुख्य विद्युत निरीक्षकालय अनुशंसित आवेदन का नियमानुसार परीक्षण कर, अनुशंसा प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(5) छूट प्रमाण पत्र जारी होने उपरांत इकाई द्वारा भुगतान किये गये विद्युत शुल्क की राशि का समायोजन समानुपातिक रूप से आगामी अवधि में किया जायेगा।

(6) मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अनुबद्ध किसी भी शर्त अथवा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में, विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त मान्य होगा। साथ ही उत्पादन निरंतरता प्रमाणित न होने की स्थिति में उद्योग संचालनालय को विद्युत शुल्क से छूट निरस्त करने का अधिकार होगा। यह कंडिका पूर्व की नीतियों में जारी विद्युत शुल्क छूट प्रमाण पत्र (जिनकी पात्रता अवधि निरंतर है) पर भी लागू होगी।

(7) उपर्युक्त पैरा में विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रमाण पत्र निरस्त होने की दशा में, उद्योग को ब्याज सहित विद्युत शुल्क भुगतान से प्राप्त छूट के लाभ को राज्य कोषालय में ऐसी तारीख में जमा करना आवश्यक होगा जिससे उद्योग अपात्र हो गई हो। यदि उद्योग द्वारा ऐसे बकाये का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रभारित व वसूल की जायेगी।

(8) मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा जारी किये जाने वाले छूट प्रमाण पत्र के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में, ऐसे विषय का निराकरण छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम 13 के अधीन राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और यह निर्णय, पक्षकारों पर अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

5/ अपील/वाद :-

(1) विद्युत शुल्क से छूट हेतु आवेदन एवं प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने पर, औद्योगिक इकाई द्वारा भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी।

(2) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों में अपील शुल्क रु. 2000/- तथा मध्यम एवं वृहद उद्यमों/सेवा उद्यम के प्रकरणों में रुपये 5000/- का भुगतान करने पर ही अपील ग्राह्य होगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/तृतीय लिंग/महिला उद्यमी/भूतपूर्व सैनिक/सेवानिवृत्त अग्निवीर/नक्सल प्रभावितों/आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरण में अपील शुल्क रुपये 1000/- (यथा लागू कर अतिरिक्त) तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न प्रकरणों में रुपये 2500/- (यथा लागू कर अतिरिक्त) का भुगतान किया जाना होगा।

औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरणों के संबंध में अपील शुल्क निम्नानुसार देय होगा:—

उद्योग विभाग के प्राप्ति शीर्ष	ऊर्जा विभाग के प्राप्ति शीर्ष
0852—उद्योग, 08—उपभोक्ता उद्योग, 800—अन्य प्राप्तियां, 0674—अन्य प्राप्तियां	0043—विद्युत पर कर एवं शुल्क 800—अन्य प्राप्तियां

(3) अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित अपीलीय अधिकारी को प्राप्त रहेगी। अपीलीय अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

6/ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के ऐसे कंडिका जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं एवं पात्रता धारित उद्यमों की विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने हेतु आवश्यक है वह कंडिकाएं इस अधिसूचना में प्रभावशील समझी जावेगी। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में किए जाने वाले संशोधन, इस अधिसूचना में यथास्थिति लागू होंगे।

7/ इस नीति के विभिन्न भाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग दायित्वाधीन होंगे। इस नीति के तहत जारी हिंदी संस्करण मुख्य संस्करण होगी, जो अलग-अलग भाषाओं में जारी संस्करणों के बीच विसंगति होने पर प्रभावी रहेगा।

8/ इस अधिसूचना से संबंधित किसी मुद्दे पर मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है।

9/ यह अधिसूचना दिनांक 01 नवम्बर, 2024 से प्रभावशील होगी तथा औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर, 2024 को/के पश्चात तथा 31 मार्च, 2030 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले पात्र उद्योगों पर लागू होगी।

S No. 1370/F 21/11/2024/13/2.—Whereas the State Government is of opinion that in order to encourage investment to setting up new industries in the State under the Development Policy 2024-30, it has become necessary in the public interest that such industries should be given exemption in payment of electricity duty.

2/ Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3- B of Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (X of 1949), the State Government, hereby, exempts eligible industries from the payment of electricity duty for the period mentioned in the table below from the date of commencement of commercial production, to encourage industrial investment, in compliance with the provision of clause-12 of the Industrial Development Policy, 2024-30-

Table

(1) Industrial Investment Incentive for MSME Service Category Enterprises.

Based on the details included in Annexure -7 of Chapter –A of Industrial Development Policy 2024-30, eligible micro, small and medium new service enterprises established in the State will be granted an exemption from the payment of electricity duty as per the following details:-

Area	Maximum subsidy Duration
Group -1	Full exemption up to 6 years from the date of commencement of commercial production.
Group -2	Full exemption up to 8 years from the date of commencement of commercial production.
Group -3	Full exemption up to 10 years from the date of commencement of commercial production.

(2) Industrial Investment Incentive for large Enterprise of Service Category.

Based on the details included in Annexure -8 of Chapter –A of Industrial Development Policy 2024-30, eligible new large service enterprises will be provided exemption from electricity duty as per the following details:-

S.No.	Capital Investment in plant and machinery (amount in crores)	Description
1.	More than ₹ 50 but less than ₹ 200	6 years from the date of commencement of commercial production.
2.	More than ₹ 200 but less than ₹ 500	7 years from the date of commencement of commercial production.

(3) Industrial Investment Incentive Package for general and thrust production enterprises of micro, small and medium category in the general category sector.

Based on the details included in Annexure -9.3 of Industrial Development Policy 2024-30, enterprises of general/thrust production for only new enterprises established by entrepreneurs in the general category will be provided exemption from payment of electricity duty as per the eligibility and as per the following details:-

Area	General Enterprises	Thrust Enterprises
Group-1	Complete exemption up to 5 years from the date of commencement of commercial production	Complete exemption up to 6 years from the date of commencement of commercial production
Group-2	Complete exemption up to 7 years from the date of commencement of commercial production	Complete exemption up to 8 years from the date of commencement of commercial production
Group-3	Complete exemption up to 9 years from the date of commencement of commercial production	Complete exemption up to 10 years from the date of commencement of commercial production

(4) (1) Industrial Investment Incentive for large enterprises in general category and thrust sector.

Based on the details included in Part (B-1) (2) of Chapter (B) of Industrial Development Policy 2024-30, Only new large enterprises in the general category and thrust sector within the State will be provided exemption in electricity duty as per the following details-

No.	Category of Blocks	General	Thrust
1.	Group-1	6 years from the date of commencement of commercial production	8 years from the date of commencement of commercial production
2.	Group-2	7 years from the date of commencement of commercial production	10 years from the date of commencement of commercial production
3.	Group-3	8 years from the date of commencement of commercial production	12 years from the date of commencement of commercial production

(4) (2) Industrial Investment Incentive for large enterprises of the Core (Steel) Sector.

On the basis of the details included in Part (B-2) (2) of Chapter (B) of Industrial Development Policy 2024-30, only new enterprises of core sector within the state will be provided exemption in electricity duty as per the following details-

No.	Category of Blocks	Description
	Group-1 (Except Bilha and Dharsinva Block)	10 years from the date of commencement of commercial production
2.	Group-2	10 years from the date of commencement of commercial production
3.	Group-3	15 years from the date of commencement of commercial production

(4) (3) Industrial Investment Incentive for other large enterprises of core sector (except steel) and small, medium and large solar power plants.

On the basis of the details included in part (B-3) (4) of Chapter (B) of Industrial Development Policy 2024-30, only new enterprises of core sector within the state will be provided exemption in electricity duty as per the following details -

No.	Category of Blocks	Description
1.	Group-1	10 years from the date of commencement of commercial production
2.	Group-2	10 years from the date of commencement of commercial production
3.	Group-2	15 years from the date of commencement of commercial production

(5) Industrial Investment Incentive for large enterprises of specific product category.

New large enterprises of specific product category provided under Chapter-C of Industrial Development Policy 2024-30 will be provided exemption from electricity duty as follows-

No.	Specific product category	Description
1.	Pharmaceutical Enterprises	12 years from the date of starting commercial production.
2.	Textile Sector Enterprises	
3.	Agriculture and Food Processing, Dairy Products Processing and Non-Wood Forest Produce Processing and Compressed Bio Gas Sector, Green Hydrogen Plants	
4.	Electrical and Electronics Sector	
5.	Artificial Intelligence (A.I.), Robotics and Computing (G.P.U.)	
6.	Information Technology (IT)	
7.	IT Enabled Services (I.T.E.S.)/ enterprises relating to Data Center	

If a special investment incentive package is approved by the Cabinet Sub-Committee for any large investment other than the above mentioned, subject to the conditions of Industrial Development Policy 2024-30 for the said enterprises, then they will be eligible an exemption from electricity duty as per the approved package.

(6) Special Industrial Investment Incentive Package for Socially Weaker Sections and Special Types of Industries.

1. For Scheduled Caste/Tribe Category:-

On the basis of the details included in Part (D-1) (3) of Chapter (D) of Industrial Development Policy 2024-30, exemption from payment of electricity duty will be provided on the establishment of eligible micro, small and medium enterprises, new enterprises by entrepreneurs belonging to Scheduled Caste/Tribe category as per the following details:-

Area	General Enterprises	Thrust Enterprises
Group-1	Complete exemption up to 6 years from the date of commencement of commercial production	Complete exemption up to 7 years from the date of commencement of commercial production
Group-2	Complete exemption up to 8 years from the date of commencement of commercial production	Complete exemption up to 9 years from the date of commencement of commercial production
Group-3	Complete exemption up to 10 years from the date of commencement of commercial production	Complete exemption up to 11 years from the date of commencement of commercial production

2. Chhattisgarh State Logistics Enterprises Package.

Based on the details included in Part (D-2) (3) of Chapter (D) of Industrial Development Policy 2024-30, exemption from payment of electricity duty may be provided as per the following details, in cases of expansion/diversification in new micro, small and medium logistics enterprise/existing enterprise-

Category of Blocks	Period of exemption
Group-1	Complete exemption up to 6 years from the date of commencement of commercial production
Group-2	Complete exemption up to 8 years from the date of commencement of commercial production
Group-3	Complete exemption up to 10 years from the date of commencement of commercial production

Process and amount of exemption for expansion & diversification of existing industry shall be decided separately.

(7) Chhattisgarh Startup Package.

Start-up units to be established in the state fulfilling the conditions of Chapter (D-3) of Industrial Development Policy 2024-30 will be provided exemption from electricity duty as per the rules provided in the policy and start-ups established by entrepreneurs of Scheduled Caste/ Tribe category, women entrepreneurs, third gender in the State, Soldier of the state retired from Indian Army and persons / families affected by Naxalism and disabled persons will be eligible for exemption from payment of electricity duty for one more year.

(8) for closed and sick enterprises.

Based on the eligibility for industrial investment incentives of Industrial Development Policy 2024-30, the owner or buyer unit of the closed/sick industry (holding certificate) declared during the period of this policy (as applicable), category-wise and development block-wise, will be provided exemption from fully/remaining electricity duty which the closed industry has not used/partially used during the period of operation of its industry.

(9) For women entrepreneurs in the state, soldiers in the state retired from the Indian Army, retired Agniveer soldiers and persons/families affected by Naxalism, disabled persons, Non-Resident Indian, Foreign Direct Investors (FDI), export enterprises and projects established with foreign technology, there shall be provided exemption from electricity duty for one year more than the period of exemption provided to enterprises of general sector.

Provided that if a investor is eligible for additional benefit in more than one category or any other provision, then they will be eligible for additional benefit of only one category provided in this Policy.

(10) Eligible new enterprises to be set up in all private industrial areas / industrial parks to be established in the state will be eligible for exemption from electricity duty for one year more than the permissible period under the Industrial Development Policy 2024-30 based on the category of the development block.

(11) New rice mills/ parboiling units to be set up only in Group-3 development blocks in the state will be eligible for exemption from electricity duty declared for general enterprise category.

(12) Enterprises which are starting their first commercial production during the period of Industrial Development Policy 2024-30, but have opted for Industrial Policy 2019-24 as per the rules, will be eligible for exemption from electricity duty as per the provisions mentioned in the Notification No. 1956/F 21/12/2019/13/2/E.D. dated 07.09.2021 of the Government of Chhattisgarh, Energy Department.

(13) The industrial investment incentives declared under the Industrial Development Policy 2024-30 will not be available to the State Government and its Public Sector Undertakings (unless otherwise specifically provided) except to the institution expressly declared eligible in this Policy.

(14) Pump storage based hydroelectric projects established in the State under clauses 3(3), 3(4) and 3(5) of Chhattisgarh State Hydroelectric Project (Pumped Storage Based) Establishment Policy, 2023 of the Energy Department will be eligible for exemption from electricity duty for the period declared for General Sector Industries under the Industrial Development Policy, in addition to the concessions mentioned in the said policy of the Energy Department.

(15) Mini hydel power plant established in the State under the effective Policy of Energy Department for the establishment of small and micro hydroelectric project up to 25 MW capacity will be same as eligible for the exemption from electricity duty declared for General Sector Industries under this Industrial Development Policy 2024-30 in place of clause 7 of the said policy of the Energy Department.

(16) Solar power projects to be established in the state under Chhattisgarh State Solar Energy Policy 2017-27 of the Energy Department will be same as eligible for the exemption from electricity duty declared for core sector (except steel) industries under the Industrial Development Policy 2024-30 in place of concessions mentioned in clause 8-A of the said policy of the Energy Department.

3/ The above exemption shall be subject to the following conditions:-

(1) In case of captive power plant operated along with industrial unit, for determining the date of commercial generation, the institution shall have to submit a self-declaration certificate certified by the State Load Dispatch Centre and Regional Load Dispatch Centre of PGCIL as per grid connectivity.

(2) In case of captive power plant operated along with industrial unit, eligibility for exemption shall be given on the basis of auxiliary consumption and units of electricity consumed in captive use as defined in Electricity Rules, 2005. Accordingly, the institution shall have to submit separate consumption details along with meter readings to the Chief Electrical Inspectorate for each month to the company for exemption from payment of electricity duty on electricity generated from captive power plant.

(3) For industrial units other than captive power plant operated along with industrial unit, determination of the date of commercial generation shall be valid on the basis of certificate certified by the Commercial and Industries Department.

(4) To get exemption from payment of electricity duty declared under Development Policy 2024-30, it will be mandatory for the industrial units to provide employment to the native residents of the state as per the prescribed percentage.

(5) Application for exemption from payment of electricity duty is required to be submitted within 18 months from the date of commencement of commercial production or the date of issue of notification, whichever is later.

Delay up to 90 days in submitting the application can be relaxed by the Industry Commissioner/Director of Industries and delay more than 90 days can be relaxed by the Secretary-in-Charge, Chhattisgarh Government, Commerce and Industry Department on the basis of merits. On which the industrial unit will be given an opportunity of hearing before the decision. Delay up to a maximum of 01 year only can be relaxed.

4/ Process of disposal of applications and exemption from payment of electricity duty:-

(1) To avail the benefit of exemption from payment of electricity duty under Industrial Development Policy 2024-30, application has to be submitted through single window login in the website of the Department of Industries www.industries.cg.gov.in. Under the Ease of Doing Business, the unit will not be required to appear in person in any office for disposal of the application.

(2) Applications received for exemption from electricity duty by the Commissioner of Industries / Director or an officer duly authorized by the Department of Commerce and Industry will be sent to the Chief Electrical Inspector within 30 days from the receipt of the application along with the recommendation, which will contain details of classification of investor, category of units, class and status of industrial unit, date of starting commercial production, eligibility period for exemption in electricity duty. Incomplete recommended application will not be considered.

(3) Commissioner of Industries / Director will be competent to make changes / improvements in the online process of recommendation for exemption from electricity duty.

(4) The Chief Electrical Inspectorate will examine the recommended application as per rules and issue a certificate of exemption from payment of electricity duty within 15 days from the date of receipt of the recommendation.

(5) After the issuance of the exemption certificate, the amount of electricity duty paid by the unit will be adjusted proportionately in the next period.

(6) In case of violation of any condition stipulated in the certificate issued by the Chief Electrical Inspector or the provisions of the Industrial Development Policy 2024-30, the exemption certificate from payment of electricity duty will be automatically cancelled. Also, in case the continuity of production is not certified, the Directorate of Industries will have the right to cancel the exemption from electricity duty. This clause will also apply to the electricity duty exemption certificates issued in the previous policies (whose eligibility period is continuous).

(7) In case the exemption certificate from payment of electricity duty is cancelled in the above paragraph, it will be necessary for the industry to deposit the benefit of exemption received from payment of electricity duty along with interest in the State Treasury on such date from which the industry becomes ineligible. If such dues are not paid by the industry, then it will be charged and recovered as Arrears of Land Revenue.

(8) In case of any dispute regarding exemption certificate issued by Chief Electrical Inspectorate, such matter will be resolved by the authority authorized by the State Government under rule 13 of Chhattisgarh Electricity Duty Rules, 1949 and this decision will be final and binding on the parties.

5/ Appeal/Suit

(1) In case of cancellation of application and certificate for exemption from electricity duty, an appeal can be made by the industrial unit before the Secretary-in-Charge, Chhattisgarh Government, Commerce and Industry Department or the officer authorized by them.

(2) Appeal will be admissible only on payment of appeal fee of Rs. 2000/- in cases of micro and small enterprises/service enterprises and Rs. 5000/- in cases of medium and large enterprises/service enterprises.

For Scheduled Caste/ Scheduled Tribes /Divyang / Third Gender/Women Entrepreneurs/ Ex-Servicemen/ Retired Agniveer /Naxal Affected/ Surrendered Naxalites, appeal fee of Rs. 1000/- (plus applicable taxes) in case of micro and small enterprises and Rs. 2500/- (plus applicable taxes) in case of cases other than micro and small enterprises will have to be paid.

Appeal fee will be payable in respect of appeal cases submitted by industrial units as follows:-

Receipt head of Industry Department	Receipt head of Energy Department
0852-Industries 08- Consumer Industries 800- Other Receipts 0674- Other Receipts	0043-Tax and duty on electricity 800- Other Receipts

(3) Concerned appellate Officer shall have right to take decision in the cases on the basis of merit submitting appeal before Appellate Officer Appeal. The decision taken by the Appellate Officer will be final and binding.

6/ Such clause of the Industrial Development Policy for 2024-30, which are not included in this notification and are necessary to exempt eligible enterprises from payment of electricity duty, those clauses shall be deemed to be effective in this notification. The amendment made in the Industrial Development Policy 2024-30 by the department of commerce and Industries shall be applicable to this notification as the case may be.

7/ The Commissioner of Industries /Director of industries shall be responsible for issuing version of this policy in different language. The Hindi version issued under this policy shall be primary version, which shall prevail in case of any discrepancy between the versions issued in different language.

8/ If guidance is sought on any issue related to this notification, guidance can be provided by Commissioner of industries and Director of Industries, Industries Directorate, Chhattisgarh.

9/ This notification shall come into effect from 1st November, 2024 and shall be applicable to eligible industries, under Industrial Development Policy 2024-30, starting commercial production on/after 1st November 2024 and up to 31st March 2030.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कोशले, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मोहला-मानपुर-अं.चौकी, दिनांक 26 जून 2025

क्रमांक/2423/भू-अर्जन/2025/202407300300023/अ-82/2023-24. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोहला-मानपुर- अं.चौकी	अं.चौकी	पांगरी प.ह.नं. 28	0.0042	महाप्रबंधक छ.ग. रोड एण्ड इन्फ्रा डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर.	लोहारा-रेंगाडबरी-जुना पानी-अं.चौकी मार्ग चौडीकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तुलिका प्रजापति, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मोहला-मानपुर-अं.चौकी, दिनांक 10 जुलाई 2025

क्रमांक/2612/प्र.क्र. 202308300400001 अ-82/2022-23. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी
(ख) तहसील-खड़गांव
(ग) नगर/ग्राम-सरोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.0652 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
112	0.0252
102	0.0176
103/1	0.0112

(1)	(2)
103/2	0.0112
योग	04
	0.0652

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिहरीकला-दनगढ़-सोमाटोला-गोटाटोला-खडगांव मार्ग उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तुलिका प्रजापति, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2025

प्र. क्रमांक/3810/भू-अर्जन/202507111000538/अ-82, वर्ष 2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प.ह.नं.-69
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.0604 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
206/9	0.0604
योग	0.0604

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-अमलीडीह से देवपुरी मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 16 जुलाई 2025

क्रमांक/9399/भू-अर्जन/2025.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-जवाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
190/15	0.048
योग	0.048

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दीपका-जवाली-चाकाबुड़ा मार्ग में निर्माणाधीन खोलार सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14 जुलाई 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/3167.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6046-6047 रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री बलवंत नारायण वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्रमांक/बोर्ड/बी-4/भारसाधक-अध्यक्ष/2025-26/851 रायपुर दिनांक 08-07-2025 द्वारा श्री बलवंत नारायण वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा दिनांक 30-04-2025 को सेवानिवृत्त हो जाने से श्री अवधेश उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, भाटापारा को कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री बलवंत नारायण वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के स्थान पर श्री अवधेश उपाध्याय, कृषि विकास अधिकारी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, भाटापारा को कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

महेन्द्र सिंह सवनी,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd May 2025

No. 440/Confdl./2025/II-3-1/2025.—The following candidates as mentioned in Column No. (2), appointed on probation as Civil Judge Junior Division in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted in the capacity as mentioned against their names in Column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting on or before 09-06-2025 :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of the candidate (2)	Posted as (3)
1.	Smt. Shweta Diwan, W/o Shri Suyashdhar Diwan	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Baloda-Bazar
2.	Ku. Mahima Sharma, D/o Shri Devendra Sharma	VII Civil Judge Junior Division, Durg
3.	Shri Nikhil Sahu, S/o Shri Bhagwan Singh Sahu	I Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division, Kanker

(1)	(2)	(3)
4.	Shri Priya Darshan Goswami, S/o Shri Ram Dutta Goswami	IV Civil Judge Junior Division, Mahasamund
5.	Ku. Ayushi Shukla D/o Shri Sushil Shukla	II Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division, Kanker
6.	Ku. Bhamini Rathi, D/o Shri Yugal Kishore Rathi	VIII Civil Judge Junior Division, Raipur
7.	Ku. Nandini Patel, D/o Shri Mahesh Patel	IX Civil Judge Junior Division, Raipur
8.	Ku. Aarti Dhruw, D/o Shri Deenbandhu Dhruw	VIII Civil Judge Junior Division, Durg
9.	Ku. Aditi Sharma, D/o Shri Sunil Datt Sharma	III Civil Judge Junior Division, Ambikapur
10.	Shri Dwij Singh Sengar, S/o Shri Yogendra Singh Sengar	XV Civil Judge Junior Division, Durg
11.	Ku. Sharda Sharma, D/o Shri Devendra Sharma	XVI Civil Judge Junior Division, Durg
12.	Ku. Trapti Raghav, D/o Shri Nigendra Kumar Singh	III Civil Judge Junior Division, Korba
13.	Shri Aaditya Jain, S/o Shri Naresh Kumar Jain	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Mahasamund
14.	Shri Arpit Agrawal, S/o Shri Ladli Mohan Agrawal	X Civil Judge Junior Division, Raipur
15.	Ku. Manisha Dushyani, D/o Shri Shyam Dushyani	VIII Civil Judge Junior Division, Bilaspur
16.	Shri Kshitij Nawarang, S/o Shri Tamradhwaj Nawarang	II Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division, Balrampur at Ramanujganj
17.	Ku. Priyanka Goswami, D/o Shri Pramod Goswami	XVIII Civil Judge Junior Division, Durg
18.	Shri Himanshu Panda, S/o Shri Uma Kant Panda	II Civil Judge Junior Division, Surajpur
19.	Smt. Srishti Tripathi, W/o Shri Shrinath Shrivastava	II Additional Judge to the Court I Civil Judge Junior Division, Baikunthpur
20.	Shri Suraj Rana, S/o Shri Jitendra Rana	XI Civil Judge Junior Division, Raipur
21.	Ku. Bhawna Rigri, D/o Shri Khilawan Ram Rigri	XVI Civil Judge Junior Division, Raipur
22.	Shri Himanshu Chandrakar, S/o Shri Nand Kumar Chandrakar	III Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division, Kanker
23.	Ku. Chaitali Khandekar, D/o Shri R. K. Khandekar	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Jashpur
24.	Shri Sumit Kumar Nayak, S/o Late Shri Shravan Kumar Nayak	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Dantewada

(1)	(2)	(3)
25.	Smt. Pooja Vinay Sahu, W/o Shri Vinay Kumar Sahu	II Civil Judge Junior Division, Dhamtari
26.	Ku. Gracy Singh, D/o Shri Krishna Kumar Miri	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Korba
27.	Ku. Anjeeta Khutey, D/o Shri Dhanaram Khutey	XVIII Civil Judge Junior Division, Raipur
28.	Shri Aayush Tamrakar, S/o Shri Kanhaiya Lal Tamrakar	XX Civil Judge Junior Division, Raipur
29.	Shri Tushar Barik, S/o Shri Anand Barik	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Bemetara
30.	Ku. Bhoomika Dhruw, D/o Late Shri G.L. Dhruw	I Civil Judge Junior Division, Balod
31.	Ku. Poonam Nashine, D/o Shri Pradeep Nashine	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Jashpur
32.	Shri Gourav Mahilong, S/o Shri Sharad Kumar Mahilong	I Civil Judge Junior Division, Kawardha
33.	Shri Noel Panna, S/o Late Shri Julius Panna	IV Civil Judge Junior Division, Janjgir
34.	Ku. Shreya Tulavi, D/o Shri Bhuneshwar Tulavi	II Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division, Mungeli
35.	Shri Harish Kumar Salame, S/o Shri Gyan Chand Salame	II Civil Judge Junior Division, Jagdalpur
36.	Ku. Nishi Bara, D/o Late Shri Peter Bara	V Civil Judge Junior Division, Raigarh
37.	Ku. Sumita Rani, D/o Shri Sudarshan Singh Kurre	II Civil Judge Junior Division, Kawardha
38.	Ku. Neha Tirkey, D/o Shri Camil Tirkey	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Jashpur
39.	Shri Mayank Dhruw, S/o Shri Daneshwar Singh Dhruw	IV Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division, Kanker
40.	Shri Jitendra Kumar Sonwani, S/o Shri Mahesh Kumar Sonwani	XXI Civil Judge Junior Division, Raipur
41.	Ku. Salma Lakra, D/o Shri Jowakim Lakra	VI Civil Judge Junior Division, Raigarh
42.	Ku. Riya Ganvir, D/o Shri Rajesh Ganvir	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Dhamtari
43.	Ku. Vandana Mandavi, D/o Shri Ayodhya Prasad Mandavi	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Rajnandgaon

(1)	(2)	(3)
44.	Ku. Reema Lakra, D/o Shri Paran Lakra	I Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division, Keshkal at Kondagaon
45.	Shri Sajal Jain, S/o Shri Sanjay Jain	II Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division, Keshkal at Kondagaon
46.	Ku. Seema Netam, D/o Shri Ishwar Singh Netam	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Dantewada
47.	Ku. Chandra Kiran Mankar, D/o Shri Jawahar Lal Mankar	XXII Civil Judge Junior Division, Raipur
48.	Smt. Jagriti Dhruw, W/o Shri Heeralal Alawa	X Civil Judge Junior Division, Bilaspur

Bilaspur, the 20th June 2025

No. 630/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The incumbent Judicial Officer of the Court, as specified in Column No. (2) of the table below, is, hereby, given additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3), in addition to his/her own duties, until further orders :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Court (2)	Additional Charge of the Court of (3)
1.	II District and Additional Sessions Judge, Mahasamund	District and Additional Sessions Judge (F.T.C.), Mahasamund

Bilaspur, the 23rd June 2025

No. 656/Confdl./2025/II-3-14/2000 (Part-IV).—On the applications dated 30-11-2024, 16-01-2025 & 03-04-2025 and of Ku. Sanjulata Dewangan, III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Bilaspur, she is, hereby, permitted to change her name from Ku. Sanjulata Dewangan D/o Shri Tekmal Dewangan to Smt. Sanjulata Dewangan W/o Shri Dileep Dewangan and to incorporate the name of her husband Shri Dileep Dewangan in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By the order of Hon'ble the Chief Justice,
MANEESH KUMAR THAKUR, Registrar General.

Bilaspur, the 23rd May 2025

No. 442/Confdl./2025/II-3-1/2025.—The following candidate as mentioned in Column No. (2), appointed on probation as Civil Judge Junior Division in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, vide its order bearing no. 2322/1607/21-B(I)/C.G./2025 dated 22-05-2025, is posted in the capacity as mentioned against her name in Column No. (3) of the table below with a direction to join her place of posting on or before 09-06-2025 :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of the candidate (2)	Posted as (3)
1.	Ku. Atnu Prasad, D/o Shri Ramashankar Prasad	III Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division, Mungeli

Note :— This posting order is subject to the condition mentioned by the State Government in its appointment order dated 22-05-2025 (*supra*).

By order of the Hon'ble High Court,
KHILAWAN RAM RIGRI, I/C Registrar General.